



संख्या-20 /2026/1/1300962/2026 /001-71-4002-099-3-2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 17.04.2026

विषय:-उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-92/ई/3141-सीडी०/एफ.एण्ड ए (कोषा०आह०)/यू०पी०यू०एम०एस०/2026-27 दिनांक-07.04.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-031 के अधीन राजस्व लेखा शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-31-रूरल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसे, सैफई, इटावा के अन्तर्गत पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रुपये रूपया 14,50,00,000/- के सापेक्ष वित्त विभाग की विहित व्यवस्था के क्रम में प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रुपये रूपया 3,62,50,000 /-(रुपये तीन करोड़ बासठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. यदि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त ही धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
3. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
4. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के सापेक्ष सुसंगत शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,62,50,000 (रुपये तीन करोड़ बासठ लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050331 रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सैफई , इटावा में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय ,उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय ,उ०प्र०, लखनऊ/प्रयागराज।
- (3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- (4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
- (5) कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
- (6) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
- (7) वित्त अधिकारी, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
- (8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- (9) नोडल अधिकारी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- (10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।